वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –।।" बिलासपुर वनमंडल
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ
(ii)	जिला	बिलासपुर
(iii)	वन प्रभाग	बिलासपुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रा (हेक्टेयर)	6.897 हेक्टेयर
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी क्षेत्र राजस्व वन
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4–0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ॰आर॰एल॰,एफ॰ एफ॰ आर॰ एल॰–2 मी॰ पर परिगणना और एफ॰ आर॰एल॰ 4 मी॰ भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नही है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नही है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्रा का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्रा में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्रा में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।

2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग – 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की मॉग न्युनतम एवं आवश्यक हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं हैं।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	आवश्यकता नही है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नही है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	आवश्यकता नही है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नही है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रा की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नही है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नही है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6376.76 वर्ग किलो मीटर

	(ii) जिले का वन क्षेत्र	783·362 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्रा	16 प्रकरण 1089·862 हेक्टयर (1089·862)
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	0.0 हेक्टयर
	(v) वर्ष 2015–2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	0.0 हेक्टयर 0.0 हेक्टयर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	

हस्ताक्षर

(....................)

सरकारी मोहर

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक :– 09.03.2020
स्थान :– Bilaspur

परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र बिलासपुर